# <u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :-288 / 14</u> <u>संस्थापन दिनांक:-16 / 05 / 14</u> फाईलिंग नं. 233504001252014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

सुनील पिता पाण्डू उइके, उम्र 22 वर्ष, निवासी हरदोली, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्त</u>

## <u>-: (नि र्ण य ) :-</u>

## (आज दिनांक 28.05.20018 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 324 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 29.04.2014 को समय रात करीब 08:30 बजे ग्राम हरदोली सुखचंद के घर के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 29. 04.2014 को शाम करीब 8 बजे सुखचंद के घर के आगे रोड पर खड़ा था। तभी अभियुक्त शराब पीकर आया और उससे कहा कि मेरा गमछा लाकर दे। जिस पर उसने कहा कि उसे नहीं पता कि गमछा कहां पर है। इसी बात पर से अभियुक्त ने उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और हाथ थप्पड़ से उसके दोनों गालो पर और पीठ पर घूसा मारा तथा उसे गिरा दिया और बांये तरफ छाती पर मुंह से चाब दिया जिससे उसे छाती पर चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 310 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 323, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त के विरूद्ध लगे धारा 324 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

#### 5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 29.04.2014 को समय रात करीब 08:30 बजे ग्राम हरदोली सुखचंद के घर के पास थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी को दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?"

### ।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- विजय (अ.सा.—1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना करीब 3—4 वर्ष पहले की ग्राम हरदोली स्थित सुखचंद के घर के पास की रात करीब 8—9 बजे की है। घटना के समय उसका अभियुक्त से वाद विवाद हो गया था और वाद विवाद में झूमा झटकी में गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1) थाने में की थी तथा पुलिस ने मौका नक्शा (प्रदर्श पी—2) तैयार किया था। साक्षी द्वारा अभियोजन का पूर्ण समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात को गलत बताया है कि अभियुक्त ने उसे दांत से छाती पर कांटा था। इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय अभियुक्त से उसका मात्र वाद विवाद और लामा झूमी हुई थी तथा लामा झूमी में गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी विजय (अ.सा.—1) ने अभियुक्त द्वारा उसे दांत से काटकर उपहित पहुंचाये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। उक्त साक्षी ने अभियुक्त से केवल वाद विवाद और झूमा झटकी करने से गिरने से उसे चोट आने के संबंध में कथन किये हैं।
- 7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा फरियादी के साथ वाद विवाद कर झूमा झटकी करना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त

को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा फरियादी को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गयी हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी विजय को दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहित कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्त सुनील को धारा 324 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 8 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 9 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)